वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं० 872 /जी० अ० दिनांक 12.2.19

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिलकियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री शिल्पी इन्टरप्राइजेज [illegible] पिता/पति का नाम श्री [illegible] आराजी संख्या [illegible] 13, 17, 18 व 19 मौजा [illegible] वार्ड शिवपुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

[मुहर: उपाध्यक्ष — 94/17/SO/ETO — वि०प्रा० — वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी]

दिनांक.................20

कृते उपाध्यक्ष 14/2/19
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1– यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2– इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3– मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर ________ दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, मैं कर देना होगा।

4– गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5– प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया ।

6– यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध मे पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7– यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण

शर्तें–

1. भूखण्ड पर 41 पेड़ लगाना होगा।
2. भविष्य में विभाग द्वारा शुल्कों की देयता निकलती है तो पक्ष को देय होगी।
3. शपथ पत्र मे दिये गये कथन का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति निर्माणाधीन स्थल पर रखा जायेगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच कर स्थलीय निर्माण का मिलान स्वीकृत मानचित्र से किया जा सके।
5. निर्माण के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
6. भू–स्वामित्व सम्बन्धित, रास्ता सम्बन्धित, बँटवारा सम्बन्धित किसी भी प्रकार विवाद होने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा; इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
7. क्षेत्र में पी0एन0जी0 की उपलब्धता होने पर पक्ष को पी0एन0जी0 कनेक्शन लेना होगा।
8. स्ट्रक्चरल इंजीनियर व आर्किटेक्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा कोई अप्रिय धटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष,स्ट्रचरल इंजीनियर व आर्किटैक्ट की होगी।
9. स्थल पर बोर्ड लगाया जायेगा, जिसपर स्वीकृति के संबंध में विवरण अंकित करना होगा।
10. पक्ष को एन0 जी0 टी0 के संलग्न नियमों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा.।
11. स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत उपयोग पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा, इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
12. विल्ट अप एरिया के 25 प्रतिशत भाग पर टैरेस पर फोटो वोल्टाइक है। सोलर पैनल को स्थापित करना होगा।
13. पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल पर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
14. ग्रीन एरिया को हरा भरा रखने, बच्चों को खेलने हेतु उपकरण स्थापित करना होगा।
15. आन्तरिक विकास व्यय को प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना होगा, तथा प्रोजेक्ट लागत के नियमानुसार एरिया को बन्धक रखना होगा।
16. सीवेज निस्तारण हेतु एस0टी0पी0 का निर्माण कराना होगा, जिसकी डिजाइन एवं ड्राइंग भी प्रस्तुत करना होगा।
17. आवासीय फ्लैट के निर्माण के साथ–साथ ई0डब्ल्यू0 एस0/एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कराना अनिवार्य होगा।
18. रैरा एवं अपार्टमेंट एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित कराकर विभाग को सूचित करना होगा।
19. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान मानक के अनुसार करना होगा।

14/2/19
SE